बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग 08

संख्या-स0क0-03/यो0-स0क0-01/2019/..........

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक :- 25.2.19

विषय :- **दिव्यांगजनों के सहायतार्थ 20 दिव्यागजन अनुकूल बस का क्रय तथा राज्य के 17 बस स्टैंड को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाये जाने हेतु कुल 9,70,00,000.00 (नौ करोड सत्तर लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :- **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांगजन के प्रति सुगम्य बनाया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजन अनुकूल बस का क्रय करने तथा राज्य के सभी जिलों के बस स्टैंड को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाये जाने के संबंध में प्रशासक (मु0), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पत्रांक 622 दिनांक 07.02.2019 के द्वारा बीस (20) **Divyanjan Friendly Bus** का क्रय करने तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 17 बस स्टैंडों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाए जाने हेतु कुल 20 गाडियों के क्रय पर लगभग 8.00 करोड (आठ करोड) रू0 की राशि व्यय संभावित है। साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 17 बस स्टैंड को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाये जाने हेतु 1.70 करोड (एक करोड सतर लाख) का व्यय अर्थात कुल 9,70,00,000/- (नौ करोड सतर लाख) रू0 का व्यय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा 20 दिव्यागजन अनुकूल बस का क्रय तथा राज्य के 17 बस स्टैंड को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाये जाने हेतु कुल 9,70,00,000.00 (नौ करोड सत्तर लाख) मात्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दिव्यांगजनों के हितार्थ बसों का क्रय एवं बस स्टैंडों का निर्माण कार्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय राशि की निकासी कर प्रशासन (मुख्य) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगे साथ् ही उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका सामंजन भी करायेंगे।

4. राशि की निकासी मांग संख्या-51 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02, लघु शीर्ष -101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0323-दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) में कुल 1150.00 लाख (ग्यारह करोड पचीस लाख) मात्र का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है। इस योजना का विपत्र कोड संख्या- 51-2235021010323 है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, 2450 दिनांक 17.04.1999, पत्रांक-41 वि0 (2) दिनांक 30.01.2002 एवं 2938 वि0 (2) दिनांक 08.04.2008 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. प्रस्ताव में दिनांक 14.02.2019 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

7. इस स्वीकृति आदेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति संचिका सं0-03/यो0-स0क0-01/2019 के टिप्पणी पृ0 12./टि0 पर दिनांक 14.02.2019 को प्राप्त है।

8. इस स्वीकृति आदेश प्रस्ताव पर में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की स्वीकृति संचिका सं0-03/यो0-स0क0-01/2019 के टिप्पणी पृ0..22../टि0 पर दिनांक 22-02-2019 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :- 03/यो0-स0क0-01/2019- 08

पटना, दिनांक 25.2.19

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग/ सचिव, समाज कल्याण/ प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बिहार पथ परिवहन निगम लिमिटेड, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :- 03/यो0-स0क0-01/2019- 08

पटना, दिनांक 25.2.19

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)।